झारखंड मंत्रिमंडल शपथ लेगा

चर्चा में क्यों?

झारखंड के 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में दस मंत्री [पद की शपथ](#) लेंगे। **शपथ ग्रहण समारोह रांची के राजभवन** में होगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यों में [मंत्रिपरिषद](#) का गठन और कार्य उसी प्रकार होता है जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का होता है **(अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164)**।
- **अनुच्छेद 163** में कहा गया है कि विवेकाधीन शर्तों को छोड़कर, [राज्यपाल](#) को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिये [मुख्यमंत्री](#) की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी।
    - **विवेकाधीन शक्तियों में शामिल हैं**
        - राज्य विधान सभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति
        - [अविश्वास प्रस्ताव](#) के समय
        - राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में ([अनुच्छेद 356](#))
- संविधान के **अनुच्छेद 164** के तहत **मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा** किसी की सलाह के बिना की जाती है। लेकिन वह व्यक्तिगत मंत्रियों की नियुक्ति **मुख्यमंत्री की सलाह पर** ही करता है।
    - अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल **अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिये** राज्यपाल किसी मंत्री को केवल **मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बर्खास्त** कर सकता है।

//

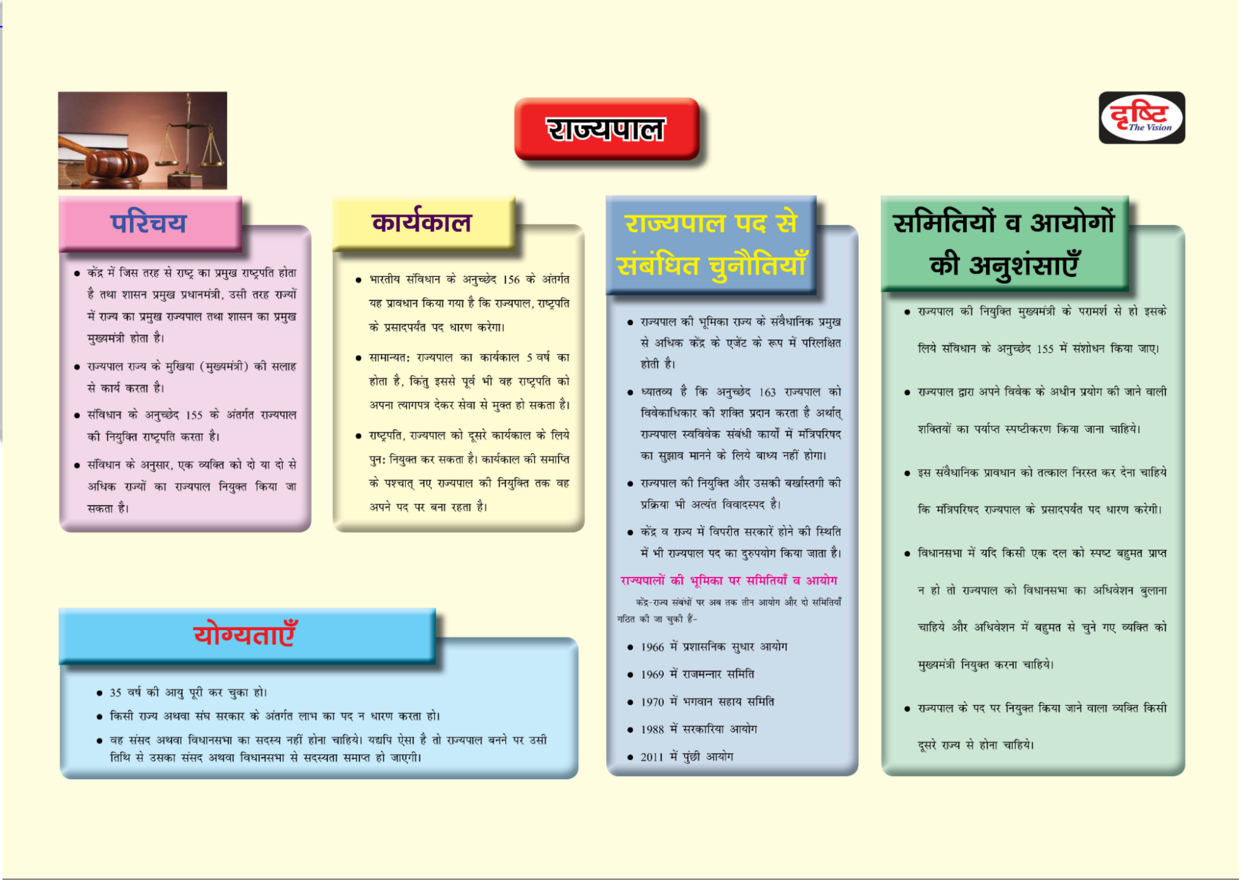

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-cabinet-to-take-oath